

राजस्थान राजपत्र

विशेषांक

Regd. No. RJ. 2539 RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माध 15, मगलवार, गाके 1913—फरवरी 4, 1952 Magha 15, Tuesday, Saka 1913—February 4, 1992

भाग 4 (म)

उक्-ख•्ड (I)

सामा सम्बाद तथा श्रम्य राज्य-प्राधिकास्थि द्वासा जारी किए गए (सामान्य ग्राकेशी, उप-विधियों भ्रादि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 4, 1992

G. S. R. 46.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan, after consultation with the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Secretariat staff of the Rajasthan Legislative Assembly, namely:—

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) RULES, 1992.

- 1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992.
- (2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajasthan Rajpatra.
- (3) They shall apply to all employees of the Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat and to all persons employed by it holding posts or lien on posts specified in the Schedule annexed to these Rules, except to:—
 - (i) Secretary and Special Secretary to the Rajasthan Legislative Assembly on transfer or deputation from Judicial Service Cadre.
 - (ii) Persons employed in the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat on deputation from the Central Government or State Government or any Local Authority of any other Corporation or Institution on special terms and conditions or contract.
 - (iii) Employees engaged on casual or daily basis.

- (iv) Employees engaged on consolicated pay during session.
- 2. Definitions. -- In these Rules, unless the context otherwise requires:
 - (a) 'Appointing Authority' means the Speaker or any officer authorised by him in that behalf under Rule 7;
 - (b) 'Assembly' means the Rajasthan Legislative Assembly;
 - (c) 'Competitive examination' means an examination or test, departmental or otherwise, prescribed for direct recruiting it;
 - (d) 'Constitution' means the Constitution of India;
 - (e) 'Deputation' means the temporary loan of the services of an Officer in the Secretariat to any office outside the Secretariat or vice versa;
 - (f) 'Direct recruitment' means recruitment other than:
 - (i) by promotion, or (ii) by deputation or transfer from other Services of the State;
- (g) 'Experience' or 'service' wherever prescribed in these rules as a condition for promotion from one service to another or within the Service from one category to another or to senior posts, in the case of a person holding a lower post eligible for promotion to higher post shall include the period for which the person has continuously worked on such lower post after regular selection in accordance with these Rules.
 - Note: Absence during service e.g. training leave and deputation etc. which are treated as 'duty' under the Rajasthan, Service Rules, 1951 shall also be counted as service for computing experience or service required for promotion.
 - (h) 'Finance Department' means the Finance Department of the Government of Rajasthan;
 - (i) 'Government' means the Government of Rajasthan and the State of Rajasthan.
 - (j) 'Governor' means the Governor of Rajastlan;
 - (k) 'Member of the Service' means a person appointed substantively under these Rules or under the Rule or Order in force prior to these Rules, to any post in any cadre of the Service and continuing to hold such post;
 - (1) 'Qualifying examination' means any examination or test,

departmental or otherwise, prescribed for purpose of probation or promotion;

- (m) 'Schedule' means the Schedule annexed to these Rules;
- (n) 'Secretariat' means the Assembly Secretariat;
- (o) 'Secretary' means the Secretary to the Assembly and includes Special Secretary or any person authorised to discharge the duties of the Secretary for the time being;
- (p) 'Service' shall include the Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service, Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Subordinate Service, Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Ministerial Service and Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Class IV Service;
- (7) 'Session' means the period from the time the Assembly meets at the summons of the Governor to the time when it is prorogued by the Governor;
- (r) 'Sessional Staff' means the staff employed during the period two weeks prior to the Session and terminated one week after the prorogation of the House and getting consolidated pay as determined by the Speaker from time to time after consultation with the Finance Department;
- (s) 'Speaker' means the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly;
- (t) 'Special Board' means the Board consisting of Chief Minister, Rajasthan, Speaker of Rajasthan Legislative Assembly, Finance Minister, Rajasthan, Minister for Parliamentary Affairs Department and Deputy Speaker, Rajasthan Legislative Assembly;
- (u) Any other term or expression here in used and defined in any Rules made by the Government in relation to its Services has the meaning assigned to it in the said Rules.
- 3. Strength and composition of the Secretariat.—(1) There shall be a separate Secretariat of the Assembly under the superintendence and control of the Speaker.
- (2) There shall be in the Secretariat such number of permanent and temporary posts in different categories as may be determined by the Speaker from time to time in consultation with the Finance Department.
- 4. Method of recruitment.—(1) Recruitment to a post or class of posts may be made by any of the following methods, namely:—
 - (a) by promotion of a person employed in the Secretariat as per

conditions mentioned in the Schedule;

- (b) by transfer or deputation of a person serving outside the Secretariat in connection with the affairs of the Union or of a State or Statutory body;
- (c) by direct recruitment.
- (2) The Speaker may, by order, from time to time, add, amend or alter the schedule by specifying the class of officers who, and the conditions subject to which they shall be eligible for such recruitment and promotion:

Provided that such addition, alteration or amendment shall not reduce the minimum basic qualifications embodied in the Schedule for recruitment or promotion to a post.

5. Qualifications, experience and other conditions for appointment/promotion.—(1) Direct recruitment to the service shall be made in accordance with the procedure prescribed in the Schedule.

(2) Selection for promotion to the posts shall be made as per merit and/or seniority as shown in the Schedule:

Provided that in the event of non-availability of meritorious persons for the post of Deputy Secretary, Assistant Secretary, Section Officer, Assistant Research and Reference Officer, the condition relating to the prescribed period of service and experience of working in the Assembly Secretariat may be relaxed by the Speaker, but such relaxation shall extent to only half the prescribed period of experience, and if they fulfil the qualifications and other conditions for promotion, such persons may be appointed/promoted on the basis of merit:

Provided further that in the event of non-availability of suitable persons under the first proviso, the said posts may by filled by direct recruitment or by transfer or deputation of suitable persons serving outside the Secretariat in connection with the affairs of the Union or a State or statutory body.

Explanation: - Merit will be determined: -

- (a) by holding written departmental examination as per syllabus prescribed for different posts by the Speaker from time to time and/or interview by a Selection Board constituted by the Speaker;
- (b) by educational qualifications, suitability for the job, experience and record of work during the preceding five years and interest taken in activities besides the responsibilities of one's own seat, etc.
- 6. Determination of Vacancies.—(1) Subject to the provisions of these Rules, the appointing authority shall determine every year, on 1st of April, the number of existing vacancies and those anticipated during

the financial year and the number of persons likely to be appointed to the Service by each method.

- (2) The appointing authority shall also determine the corresponding vacancies of earlier years, if any, yearwise, which were required to be filled in by promotion, if such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in accordance with sub-rule (1).
- 7. Appointing Authority.—(1) Appointments to the posts of Sccretary and Special Secretary shall be made by the Speaker with the approval of the Governor.
- (2) All appointments to posts other than those of Secretary and Special Secretary shall be made by the Speaker:

Provided that the Speaker may, by general or special order, delegate to the Secretary or any other officer of the Secretariat his power to make appointments to any post or class of posts specified in such order, being post others than gazetted posts.

8. Probation.—(1) Every person appointed to a permanent post by direct recruitment with a view to his eventual substantive appointment to that post, shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Speaker or the Secretary may, by order, extend the period of probation for not more than one year in the case of any person appointed by him to any post.

- (2) In the event of probationer work being not found satisfactory during the probation period or extended probation period, his services shall be terminated.
- 9. Pay, Allowances and other conditions of service.—(') The Secretary, Special Secretary appointed by direct recruitment, and other gazetted officers and members of the subordinate, Ministerial and Class IV establishment shall draw such pay and allowances as the Speaker may, from time to time, determine after consultation with the Finance Department.
- (2) Other conditions of their service, such as age of recruitment, age of superannuation, leave, gratuity, pension and the like shall be those applicable to persons holding corresponding appointments in the Government Secretariat, subject to such modification, variation or exception, if any, in such rules, as the Speaker may, after consultation with the Finance Department, by order, from time to time, specify.
- (3) In the event of any proposal involving financial implications being not acceptable to the Finance Department, the matter shall be submitted by the Secretary Assembly to the Special Board alongwith the note received from the Finance Department, and the decision taken by

the Special Board shall immediately be complied with by the Government and the Assembly Secretariat.

- (4) Notwithstanding anything contained in these Rules of Rajasthan Service Rules, any employee of the Assembly Secretariat may be retained in the service after the date of his retirement on attaining the age of superannuation with the sanction of the Speaker on grounds which must be recorded in writing, but he shall not be kept in service after his attaining the age of 62 years in the case of Class IV employee and 60 years in other cases.
- 10. Relaxation in exceptional cases —Where the Speaker is satisfied that the operation of any rule or provision in the matter of conditions of service of an employee causes undue hardship in any particular case, the Speaker may, after consultation with the Finance Department, by order dispense with or relax the requirements of that rule or provision to such extent and subject to such conditions as may be considered necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.
- 11. Conditions of service of officers on deputation to the secretariat.—subject to such conditions and to such extent as may be determined by the speaker, after consultation with the Finance Department, an officer, while on deputation to the Secretariat, may be permitted to retain any terms and conditions of service to which he may be entitled immediately before his deputation to the Secretariat, provided he was holding corresponding and equivalent post before coming on deputation.
- 12. Disciplinary control and punishing authority .— (1) Subject to overall control and superintendence of the Speaker, the disciplinary control and punishment power shall vest:—
 - (a) in the Speaker in respect of Secretary, special Secretary and other members of service included in Schedule to these Rules under the caption 'Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service',
 - (b) in the Secretary in respect of members of subordinate, ministerial and class IV establishment.
- (2) Except for the matters, for which provision has already been made in tiese Rules, the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, as amended from time to time, shall apply mutatis mutandes, to persons employed in the Assembly Secretariat:

Provided that the consultation of Rajasthan Public Service Commission shall not be required to follow the procedure contained in the aforesaid rules.

- (3) Any of the penalties prescribed in rule 14 of the aforesaid rules may be imposed:
 - (a) on members of service included in Schedule to these Rules under

the caption 'Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service' by the Speaker, and

- (b) on any member of the subordinate, ministerial or class IV establishment, by the Secretary.
- 13. Disciplinary action against an officer on deputation to the Secretariat.—If, in the case of an officer on deputation to the Secretariat, and without prejudice to the provisions of the foregoing rule, the Speaker or the Secretary or any other officer, as the case may be, is of the opinion that any of the penalties referred to in rule 14 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules should be imposed upon the said officer, his services shall be re-placed at the disposal of the lending authority and the relevant papers connected with the inquiry, if any held, shall be sent to that authority. Final orders in the disciplinary matter shall be passed by the lending authority, which shall forward a copy thereof to the Assembly Secretariat.
- 14. Appeal. (1) Every officer shall have a right to appeal to the Speaker against any order passed originally or on appeal by the Secretary, imposing or confirming any penalty specified in rule 14 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, or placing an employee under suspension:

Provided that if an employee is placed under suspension under orders of the Speaker, such an employee shall have a right to file representation in writing for re-consideration of the order, with the Speaker:

Provided further that where an order is passed originally by any authority subordinate to the Secretary, an appeal against such order shall lie to the Secretary.

(2) The orders of the Speaker, whether passed originally or on appeal, shall be final:

Provided that the Speaker may, of his own motion or on application, revise or rescind any orders passed by him under this rule.

- (3) No appeal shall be entertained under this rul: unless it is submitted within a period of three months from the date on which the appellant recieved a copy of the order complained against.
- 15. Conditions governing sessional staff.—Notwithstanding anything contained in rule 1, the strength of sessional staff and its consolidated pay will be such as may be determined by the Speaker after consultation with the Finance Department.
- 16. Seniority.—Seniority of person appointed to the lowest post of the service shall be determined from the date of confirmation of such persons to the said post, but in respect of persons appointed by promotion

to other higher posts in the service, seniority shall be determined from the date of their regular selection to such posts.

- 17. Riservations.—Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes and scheduled tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time in that regard by the State Government.
- 18. Transaction of business.—The Speaker may, from time to time, by general or special order, provide for the convenient and efficient transaction of business arising out of the administration of these R ules and the procedure to be followed for the purpose:

Provided that such order may also specify the matter or class of matters which shall be brought to the personal notice of the Speaker before any orders are issued.

- 19. Residuary powers.—Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 9, all matters not specifically provided for in these Rules, whether incidental or ancillary to the provisions of these Rules or otherwise, shall be regulated in accordance with such orders as the Speaker may, from time to time, make in consultation with the Finance Department.
- 20. Interpretation.—All questions relating to the interpretation of these Rules shall be reffered to the Speaker, whose decision thereon shall be final:

Provided that all questions relating to enterpretation of rules 3, 9, 10, 11, 15, 19 and the Schedule and any orders issued under these Rules after consultation with the Finance Department, shall be decided by the Speaker after consultation with the Finance Department.

- 21. Conferment of Powers of Secretary.— For the purpose of the administration of the Secretariat, the Secretary shall exercise all the powers of a Secretary to the Government, both financial and administrative, that have been or may hereafter be conferred by the State Government, or such powers as may be delegated to him by the Speaker under these Rules.
- 22. Repeal and Saving. Save as otherwise expressly provided in these Rules, all Rules corresponding to these Rules and in force immediately before the commencement of these Rules, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the Rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Rules.

| | | <u> </u> | SCHEDUL! (ニニニニュニュニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ | | | ារប្រជាប្រជ | |
|-------------|--------------|----------|--|--|-------------------------|-------------|----------|
| S1. | Name of post | | Minimum academic qualifications experience for direct recruitment and qualifying service on next lower post and departmental test for promotion. | Next lower post/posts to be held for promotion | Criterion for promotion | Remarks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <u> </u> |
| | | · • | RAJASTHAN VIDHAN SABH | A SECRETAR | RIAT SERVI | CE | |

1. Socretary

(a) By deputation or transfer of an officer of R.H. J, S. selection Scale.

In case of direct recruitment to the post, the candidate must be a person who is a law graduate and must be practising advocate/ Pleader of at least ten years standing should not be more than 40 years of age at the time of appointment.

(b) By direct recruitment

He should be particularly conversant with practice and procedure of a Legislative Assembly/ Council of any State in India or of Parliament of India, and must have good knowledge of Constitutional L. w.

In case of direct recruitment, the post shall be filled in by inviting applications from eligible candidates and selection shall be made by a Committee consisting of Speaker,

Deputy Speaker and one more person to be nominated by the Speaker. If need be, the Speaker may cause an examination/test to conducted judging suitability of the candidates for the post. The syllabus for the examination/

test shall be as may be prescribed by the Speaker. 2. Special (a) By deputation In case of direct recruitment to In case of direct rec-

Secretary

an officer of. R.H.J.S.

or transer of the post, same qualifications, age and experience as in the case of Secretary, but the practice as advoctate/pleader would be minimum seven years.

muitment, the shall be filled in by applications inviting from eligible candidates and selection shall be made by a Committee consisting of Speaker, Deputy Speaker and one more person to be nominated by the Speaker. If need be, the Speaker may cause an examination/test to be conducted for judging suitability of the candidates for the post. The syllabus for the examination/test shall te as may be prescribed by the Speaker.

3. Deputy Secretary

in case of non-

3 years' on post in column 5.

In case of direct appointment, the candidate must be a Law

only Officer.

In case of direct recruitment, the post shall be filled in by inviting applications from eli-

100% by promotion

Assistant By merit Secretary, Protocol

and

availability of meritorious persons by direct recruitment/ transfer/deputation

graduate having at least five years standing at the bar and must not be more than 40 years of age.

In case of transer/deputation, the candiciate must be R.J.S. or in the employment of Law faculty of any University.

Provided that a candidate having minimum educational qualification and working in this Secretariat as Assistant Secretary will also be eligible to compete for direct recruitment in relaxation of experience clause relating to practice at bar and also bar relating to practice at bar and also bar relating to maximum age for entry in Government service.

100% 4. Senior Pripromotion.: vate Secretary to Hon'ble Speeker,

100% by 5. Assistant promotion. Secretary-In case of non availability of

3 years on post in column 5.

3 years on post in column 5.

In case of direct appointment,

the candidate must be a Law

Private Secretary

Section Officer

by merit only.

selection shall be made by a Committee consisting of Speaker. Deputy Speaker and the Secretary. If need be, the Speaker may casue an examination/ test to be conducted for judging suitability of the candidates for the post, the syllabus for the examination / test shall be as may be prescribed by the Speaker.

gible candidates

100% by merit.

> In case o direct recruitment, the post shall be filled in by inviting applications from eligible candidates and

ection shall be made

selection shall be made graduate having at least 3 years meritorious standing at the bar and must not by a Committee consispersons, by ting of Speaker, Deputy be more than 40 years of age. direct recruit-Speaker and the Secre-In case of transfer/deputation, ment/ transfer/ tary. If need be the the candidate must be a Lawdeputation. Speaker may cause an graduate. Provided that a candiexamination/ test to be date having minimum educational conducted for judging qualification and working in this suitability of the candi-Secretariat as Section Officer dates for the post. will also be eligible to compete The syllabus for the for direct recruitment in examination/test shall relaxation cf experience be as may be prescclause relating to practice ibed by the Speaker. at bar and also bar relating to maximum age for entry in Government service. 100% seni-3 years on post in column 5. Senier 100% by 6. Private ority-cumpersonal Secretary promotion merit. Assistant In case of direct re-By merit 3 years on post in column 5. 7. Section 100% by cruitment, the post only. Officer promotion shall be filled in by In case of direct appointment, the or inviting applications candidate must be a Law graduate In case of noncligible from availability of having at least two years standing candidates and at the bar and must not be more meritorious

persons, by dir-

than 40 years of age.

| ect recru transfer/ ation. | • |
|----------------------------------|---|
| | |

In case of transfer/deputation, the candidate must be Law graduate:

Provided that a candidate having minimum educational qualification and working in this Secretariat as Assistant will be eligible to comp= pete for direct recruitment in relaxation of experience clause relating to practice at bar and also bar relating to maximum age for entry in Government Service.

by a Committee consisting of Speaker Deputy Speaker and the Secretary. If need be, the Speaker may cause an examination/ test to be conducted for judging suitability of the candidates for post. The syllabus for the examination/test shall be as may be prescribed by the Speaker.

(Note—For present in-

cumbent only.)

| . Senior | 100% by | • |
|-----------|-----------|---|
| Personal | Promotion | |
| Aggistant | | • |
| Agaigtant | | |

100 % by '

promotion

3 years on post in column 5.

Personal Assistant 50% by merit & 50% by senioritycum-merit.

| 9. | Senior Lib- |
|-----|--------------|
| | rary Officer |
| 10. | Library |

Officer

Degree in Library Science, 3 years on post in column 5.

100% by Assistant Reference merit.

& Reasearch

Officer.

Assistant.

| | | : |
|-----|------------|-----------|
| 11. | Assistant | 100% by |
| | Rerference | promotion |
| • | & Research | |
| | Officer | |

3 years on post in column 5.

100% by Research Assistant & merit. Library

| 1 | | 3 | 4 | 5 | | 7 |
|-------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 12. | Editor of Debates | 100% by promotion | 3 years on post in column 5. | Assistant Editor of Debates. | 100% by merit. | |
| 13. | Assistant Editor of Debates | 100% by promotion | 3 years on post in column 5. | Senior Reporter | 100% by mer it | |
| 14. | Senior Reporter | 100% by promotion | 5 years on post in column 5. | Reporter | 100% senio- rity-cum- merit | |
| | Reporter (Separate posts to be allocated for English & Hindi langu- age Reporte | | Degree from a University established by law in India. Speed of 140 wpm in Hindi/ English shorthand and 40 wpm in typing in Hindi and English according to the language of the post. | | | The post shall be filled in by inviting applications from eligible candidates and selection made on the basis of test in shorthand and typewriting as prescribed in column 4. |
| 16. Y | Vidhi Rachna Adhikani | By recruitment or on deputation | Law graduate | | | In case of direct rec- ruitment, the post shall be filled in by inviting applications from eligible condidates and selec- tion shall be |

i ·

•

17. Sargeant-atarms

Ex-Military/Para Military forces.

100% by direct Degree from a University estabrecruitment from lished by law in India.

made by a Committee consisting of Speaker, Deputy Speaker and the Secretary. If need be, the Speaker may cause an examination/test to be conducted for judging suitability of the candidates for the post. The syllabus for the examination test shall be as may be prescribed by the Speaker.

In case of direct recruitment the post shall be filled in by inviting applications from eligible Candidates and selection shall be made by a Committee consisting of Speaker, Deputy Speaker and the Secretary. If need be. the Speaker may cause an examination/test to be conducted for judging suitability of the candidates for the post. The syllabus for the examination/test shall be as may be prescribed by the Speaker.

1 2 3 5

RAJASTHAN VIDHAN SABHA SECRETARIAT SUBORDINATE SERVICE

1. Reference 100% by direct M. A. in Social Sciences Assistant recruitment

The post shall be filled in by inviting applications from eligible candidates and selection shall be made on the basis of examination (Syllabus to be prescribed by the Speaker) by a Committee consisting of Secretary, Special Secretary and one more officer to be nominated by the Speaker.

2. Library 100% by direct Degree in Library Science Assistant recruitment

on the basis of interview.

3 years experience of working in a library, preferably in degree college library.

3. Translator 100% by direct Graduate. recruitment

The post shall be filled in by inviting applications from eligible candidates and selection shall be made on

| 1 | 2 | . 3 | 4 | 5 | 6 | . 7 |
|------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | the basis of examination (Syllabus to be prescribed by the Speaker) by a Committee consisting of Secretary. Special Secretary and one more officer to be nominated by the Speake |
| 4 ; | Sub-Inspector | r 100% by direct recruitment | | • • | •.• | on the basis of interview. |
| : | | from military/para military and police services. | | - 1 | | |
| 5. | Guard | 100% by direct recruitment | High School | • • | • • | On the basis of interview. |
| 6. | Air-Condi- tioning Plant Mechanic | 100% by direct recruitment | Diploma in Refrigeration from I. T. I. recognised by Government. | • • | | On the basis of interview. |
| 7. | Driver | 50% by direct recruitment and 50% by promotion. | VIII class pass. Heavy & Light vehicle driving licence | Same as for direct recruit. | F | On the basis of Trade Test and interview. |
| 8 . | Photo-copier | 100% by promotion | Competence in operating the photo-copying machine | • • | employee of Vidhan Sabha | On the basis of interview. |
| 9. | Lift Mechanic | recruitment | 1. VIII class passed. | • • | • | On the basis of inter- view. |

.

THE PERSON OF TH

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6 | | |
|----|----------------------------|--|--|--|--------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | 2. Wireman's certificate approved by the Electrical Inspector, Rajasthan or III Diploma in Mechanics. | | | | |
| • | · • | | 3. Knowledge and experience of operating lift for at least 3 years in Government, Semi-Government or firms of repute | | | | |
| | | | 4. No age limit for Vidhan Sabha employee. | | • | • | |
| | • | RAJAS THAN VI | DHAN SABHA SECRETARIAT N | INISTERI AL | SERVICE | | |
| 1. | Assistant | 100 % by promotion | 5 years experience on post in column 5. | U.D.C. of Vidhan Sab ha Secretariat | 100 % by merit. | | |
| 2. | Upper Division Clerk | 100% by promotion | 3 years experience on post in column 5. | L.D.C. Proof Reader/ Telephone operator. | Seniority- cum-merit. | In case of non on passing a passing | roficiency abus to be |
| 3. | L. D. C./ Proof-Reader | 85% by driect recruitment and 15% by promotion | Graduate | Class IV employee of Vidhan Sabha Secretariat. | Seniority- cum-merit | The post shall in by inviting tions from elighticates and se shall be made | applica- gible can- lection |

The second secon

.

.

basis of examination

| 4. | Telephone Operator | 100% by direct recruitment | Graduate with training in telephone operating | | | (Syllabus to be prescribed by the Speaker) by a Committee consisting of Secretary, Special Secretary and one more officer to ne nominated by the Speaker. On the basis of interview. |
|----|-------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| 5. | Personal Assistant | 100% by promotion | 5 years experience on post in column 5. | | r Seniority- cum-merit. | |
| 6. | Ste 10grapher | 100% by direct recruitment | Graduate Speed of 100 w. p.m. in shorthand and 30 w. p. m. in typewriting. | | | The post shall be filled in by inviting applications from eligible candidates and selection made on the basis of test in shorthand and typewriting as prescribed in column 4. |
| | | RAIASTHAN | VIDHAN SABHA SECRETARI | AT CLASS IV | SERVICE | |
| M | achineman | 100% by promotion | | Class IV servants of Vidhan Sabl Secretariat | Suitability for the post a | On the basis of Test/ Interview. |
| | ir Conditioning ant Helper | -do- | • • | -do- | -do- | -do- |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------|--|----------|-------------------------|----------------------------|
| Liftman | -do- | | -do- | -do- | -d o - |
| Jamadar/Library Boy/Record Lifter/Daftry | -do- | | -do- | Seniority- cum-merit | |
| Peons/Cycle Sowars/Farrash, Gardener/Orderly Hammal/Sweeper. | 7 | V Class Pass. | | • • | On the basis of Interview. |
| | | | | • | |
| | | · ———————————————————————————————————— | , | | • |

[No. F. 8(4) Sansad/91]
By Order of the Governor,
अ. पी. बंसल,
Secretary to the Government.

संसदीय कार्य विभाग

ग्रधिसूचना

जयपुर, फरवरी 4, 1992

संख्या एफ. 8 (4) संसद। 91: -राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956का राजस्थान अधिनियम 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "राजस्थान विधान सभा सिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1992" का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(हिन्दी मनुवाद)

संसदीय कार्य विभाग

श्रधिसूचना

जमपुर, फरवरी 4, 1992

जी. एस. आर 46:—भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग कर। हुए, राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, राजस्थान विधान सभा के सिचवालय के स्टाफ में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शतों को विनियमित वारने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेया की शर्त) नियम, 1992

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः -- (1) इन नियमों का ना। राजस्थान विधान सभा सिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 1992 है।
 - (2) ये नियम, राजस्थान राज-पत्न में प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।
- (3) ये, राजस्थान विधान सभा सचिवालय के समस्त कर्म चारियों तथा इसके द्वारा नियोजित किये जाने वाले ऐ से समस्त व्यक्तियों पर, जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनि-विष्ट पदों को धारित करें या उन पर धारणाधिकार रखते हों, लागू होंग, सिवाय निम्नलिखित के:——
 - (i) न्यायिक सेवा संवर्ग से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर श्राये राजस्थान विधान सभा के सचिव तथा विशिष्ट सचिव।
 - (i) राजस्थान विधान सभा सिववालय में, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किती स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य निगम से प्रतिनियुक्ति पर विशेष निगम्य ने तथा शतों पर या संविदा पर नियोजित किय जाने वाले व्यक्ति।

- (¡ii) भाकस्मिक या दैनिक साधार पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारी।
- (iv) सुद्ध के दौरान समेकित वेतन पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारी।
 - 2. परिभाषाए.--इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ द्वारा भन्यथा भवेकित न हो :-
 - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अध्यक्ष, या नियम 7 के अधीन उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;
 - (ख) "विधान सभा" से श्रभिश्रेत है राजस्थान विधान सभा;
 - (ग) "प्रतियोगी परीक्षा" से अभिप्रेत है, सीधी भर्ती के लिए विह्ति कोई विभागीय वा अन्य परीक्षा अथवा परीक्षण :
 - (च) "संविधान" से अभित्रेत है भारत का संविधान;
 - (ङ) 'प्रतिनियुक्ति' से प्रभिप्रेत है सचिवालय के किसी प्रधिकारी की सेवाएं प्रस्थायी कप से, सचिवालय के बाहर के किसी कार्यालय को उधार देना या लेना;
 - (भ) 'सीधी भर्ती' से ग्रभित्र त है, निम्नलिखित से भिन्न भर्ती:-
 - (i) पद्मान्ति द्वारा, वा
 - (ii) राज्यकी ग्रन्थ सेवाग्रों से प्रतिनियुक्ति ग्रथवा स्थानान्तरण द्वारा।
 - (क) ''सेवा'' या ''अनुभव'' जहां कहीं भी एक सेवा से दूसरी मेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या किसी निम्नतर पद को धारित करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पाव हो, दशा में वरिष्ठ पदों पर, पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में इन नियमों में विहित हो तो इसमें वह कालावधि सम्मिलत होगी जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने, इन नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात ऐसे निम्नतर पद एर निरन्तर कार्य किया हो।
- रिप्पण:---सैवा के दौरान ऐसी प्रनुपस्थितियां जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन ''इयूटी'' के रूप में मानी गयी हैं उदाहरणार्थं प्रशिक्षण छुट्टी तथा प्रतिनियुवित प्रादि, पदोन्नित के लिए अपेक्षित प्रनुभव या सेवा की प्रगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जाएगी।
 - (च) "वित्त विभाग" से सभिप्रेत है राजस्थान सरकार का वित्त विभाग;
 - (ज्ञ) "सरकार" से अभिप्रेत है राजस्थान तथा राजस्थान राज्य की सरकार;
 - (🛎) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है राज्यपाल, राजस्थान;
 - (ष्ट) ''सेवा का सदस्य'' से भ्रभिप्रत है वह व्यक्ति जो इन नियमों भ्रथवा इन नियमों से पूर्व प्रवृत्त रहे नियम या भ्रादेश के भ्रधीन भ्रधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया हो;
 - ं(ठ) 'भ्रहेंक परीक्षा' से अभिप्रेत है विभागीय या अन्य परीक्षा अथवा परीक्षण जो परिवीक्षा या पदीन्नति के प्रयोजनार्थ विहित की गयी हो;
 - (७) "प्रनुसूची" से प्रभिन्नेत है इन नियमों से संलग्न ग्रनुसूची;
 - (॥) "स चिवालम" से प्रभिन्नेत है विद्यान समा सचिवालम;

- (ण) ''सचिव'' से ग्रभिप्रेत है विधान सभा का सचिव ग्रोर इसमें सम्मिलित है विशिष्ट सचिव ग्रथवा तत्समय सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति;
- (त) 'सेवा' में सम्मिलित है, राजस्थान विधान सभा सचिवालय सेवा, राजस्थान-विधान सभा सचिवालय ग्रधीनस्थ सेवा, राजस्थान विधान सभा सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा तथा राजस्थान विधान सभा सचिवालय चतुर्थ श्रेणी सेवां;
- (य) 'सत्न' से अभिनेत है राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर विधान सभा का अधि-वेशन प्रारम्भ होने के समय से राज्यपाल द्वारा उसका सत्नावसान किये जाने के समय तक की कालाविधः;
- (द) "सत्रीय स्टाफ" से अभिन्नेत है सन्न के दो सप्ताह पूर्व से लेकर सबन के सन्नावसाल के एक सप्ताह पश्चात् तक की कालावधि के दौरान नियोजित किया जाने वाला श्रीर श्रध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग से परामर्श किये जाने के पश्चात् अवज्ञारित किया गया समेकित वेतन प्राप्त करने वाला स्टाफ;
- (ध) "श्रध्यक्ष" से श्रभित्रत है राजस्थान विद्यान सभा का श्रध्यक्ष,
- (न) "विशेष बोर्ड" से अभिष्रेत है वह बोर्ड जिसमें मुख्य मंत्री, राजस्थान, घष्ट्यका, राजस्थान विधान सभा, वित्त मंत्री, राजस्थान, मंत्री, संसदीय कार्य, उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा शामिल होंगे;
- (प) यहां प्रयुक्त किये गये भीर सरकार द्वारा श्रपनी सेवाभों के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों में परिभाषित किये गये अन्य किसी पद या श्रिभव्यक्ति का वही श्रवं होगा जो उसे उक्त नियमों में दिया गया है।
- 3. सचिवालय के पदों की संख्या तथा उसकी संरचना (1) अध्यक्ष के अधीक्षण तथा नियन्त्रण के अधीन विधान सभा का एक पृथक् सचिवालय होगा।
- (2) सचिवालय में विभिन्न प्रवर्गों के इतने स्थायी तथा प्रस्थायी पर होंगे जितने आग्रक्ष द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से समय-समय पर विनिश्चित किये जायें।
- 4. भर्ती की रीति.——(1) किसी पद या पदों के वर्ग के लिए भर्ती, निम्नलिखिस में से किसी भी रीति से की जा सकेगी:——
 - (क) सिववालय में नियोजित किसी व्यक्तिकी, धनुसूची में डिल्निखित खर्जी के अकु-सार पदोन्नति द्वारा;
 - (ख) सचिवालय के बाहर संघ के या किसी राज्य अथवा सांविधिक निकाय के कार्य-मलाप के सम्बन्ध में सेवा कर रहे किसी व्यक्ति के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति हारा,
 - (ग) सीधी मर्ती द्वारा।

(2) अध्यक्ष, अधिकारियों का वर्ग तथा शतें, जिनके अधीन रहते हुए वे ऐसी भर्ती तथा पदोन्नित के लिए पान होंगे, विनिद्धिष्ट करते हुए समय-समय पर आदेश द्वारा अनुसूची में खंबर्द्धन, संशोधन या परिवर्धन कर सकेगा:

परन्तु ऐसे संवर्द्धन, संशोधन या परिवर्तन से, किसी पद पर भर्ती या पदोन्ति के लिए ग्रमुसूची में सन्निविष्ट न्यूनतम ग्राधारभूत ग्रह्ताएं कम नहीं होंगी।

- 5. नियुक्ति।पदोन्नति हेतु अर्हताएं, अनुभव तथा अन्य शर्ते --- (1) सेवा में सीधी भर्ती अनुसूचो में विहित अिया के अनुसार की जायगी।
- (2) पदों पर पदोन्नित हेतु चयन ग्रनुसूची में यथादिशत योग्यता तथा या वरिष्ठता 🚁 के ग्रनुसार किया जायगा:

प्रन्तु यह कि उप सचिव, सहायक. सचिव, अनुभागाधिकारी, सहायक अन्वेषण तथा अनुसन्धान अधिकारी के पद के लिए योग्य व्यक्ति उपलब्ध न होने की दशा में, विधान सभा-सचिवालय में कार्य करने की विहित कालावधि तथा अनुभ व से सम्धन्धित शतों को अध्यक्ष द्वारा शिथिल किया जा सकेगा किन्तु यह शिथिलीकरण अनुभव के लिए विहित की गयी कालावधि के केवल आधे भाग तक का ही हो सकेगा और यदि वे पदोन्नति के लिए अहंताएं तथा अन्य शर्ते पूरी करते हों तो ऐसे व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर नियुक्तापदोन्नति किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि प्रथम परन्तुक के ग्रधीन यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो उक्त पदों को, सीधी भर्ती द्वारा या सिचवालय के धाहर संघ के या किसी राज्य ग्रथवा साविधिक निकाय के कार्यकलाप के सम्प्रस्थ में सेवा कर रहे उपयुक्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण या प्रति-नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:---पोग्यता इस प्रकार विनिध्चत की जायेगी:---

- (क) ग्रध्यक्ष द्वारा विभिन्न पदों के लिए समय-समय पर विहित पाठ्य विवरण के ग्रनु-सार लिखित विभागीय परीक्षा द्वारा तथा।या ग्रध्यक्ष द्वारा गठित चयन बोर्ड द्वारा लिये गये साक्षात्कार द्वारा;
- (ख) शैक्षणिक शर्ततास्रों, कार्य के लिए उपयुक्तता तथा पूर्ववर्ती पांच थर्षों के दौरान कार्य के अनुभव तथा स्रभिलेख स्रौर स्रपने पद के उत्तरदायित्व के स्रलावा स्रन्य गतिविधियों स्रादि में ली गई रुचि द्वारा।
- 6. रिक्तियों का अवधारण (1) इन नियमों के उपथन्थों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रति वर्ष एक अप्रेल को विद्यमान रिक्तियों की संख्या, वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक रीति से सेवा में सम्भाव्यतः नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पूर्ववर्ती वर्षों की समरूपी रिक्तियों, यदि कोई हों, जिन्हें पदोन्नित द्वारा भरना प्रवेक्ति था, को भी वर्षवार अवधारित करेगा, यदि वे रिक्तियां पूर्व में विनिध्चित न की गयी हों श्रार उस वर्ष में न भरी गयी हों, जिस वर्ष में इन्हें भरना उप नियम-(1) के अनुसार अपेक्षित था।

- 7 नियुक्ति प्राधिकारी.——(1) सचिव तथा विशिष्ट सचिव के पदों पर की नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल के नियुक्ति से की जायेगी।
 - (2) सचिव तथा विशिष्ट सचिव से भिन्न पदों पर की समस्त नियुक्तियां ग्रध्यक्ष

परन्तु यह कि प्रध्यक्ष, सामान्य प्रथवा विशेष ग्रादेश द्वारा सर्चिव या सर्चिवालय के किसी ग्रन्य ग्रिधकारी को ऐसे ग्रादेश में विनिर्दिष्ट किसी पद या पर-वर्ग में, जो राजपन्नित पदों से भिन्न पद हों: नियुक्तियां करने के लिए ग्रपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर संकेगा।

8. परिवीक्षा.--(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस दृष्टि से विसी स्थायी पए पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है कि उसकी बाद में उस पद पर म्रिक्टिंग्यी रूप से नियुक्ति हो जागेगी, दो वर्ष की कालावधि तक परिवीक्षा पर रखा जानेगा

परन्तु ग्रध्यक्ष या सचिव ग्रादेश द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति के, जो उसके द्वारा किसी एउ पर्र नियुक्त किया गया हो, परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से ग्रनधिक की कालावधि तक बढ़ा सकेगा।

- (2) परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य, परिवीक्षा काल या बढाये गये परिवीक्षा काल के दौरान सन्तोषप्रद न होने पर उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- 9. वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शतें.—(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सचिव, विशिष्ट सचिव तथा अन्य राजपितत अधिकारी और अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऐसा वेतन तथा भत्ते आहरित करेंमे जो अध्यक्ष द्वारा, वित्त विभाग से परामर्श करने के पश्चात् समय-समय पर अवधारित किये जाये।
- (2) उनकी सेवा की अन्य शर्ते जैसे कि भर्ती की आयु, अधिविषता की आयु, छुट्टी, ग्रेंच्युटी, पेंशन तथा ऐसे ही अन्य शर्ते वे होंगी जो शासन सिचवालय में समस्पी नियुक्तियां धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू होती हैं परन्तु ये ऐसे नियमों में होने वाले ऐसे उपान्तरण, परिवर्तन या अपवाद, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगी जो अध्यक्ष, वित्त विभाग से परान्मर्श करने के पश्चात्, आदेश द्वारा समय-समय पर विनिद्धिक करे।
- (3) वित्तीय ग्राणय वाला कोई प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकार्य न होने पर मामला विधान सभा सचिव द्वारा वित्त विभाग से प्राप्त टिप्पणी के साथ विशेष बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा ग्रीर विशेष बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय का पालन सरकार तथा विधान सभा सचिवा-लय द्वारा तुरन्त किया जायेगा।
- (4) इन नियमों तथा राजस्थान सेवा नियमों में अन्तर्विष्ट किसी धात के होते हुए भी, विधान सभा सिवालय के किसी कमैंचारी को, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात्, ऐसे आधारों पर, जिन्ह अभिलिखित किया जायेगा, अध्यक्ष की स्वीकृति से सेवा में बनाये रखा जा सकेगा किन्तु उसे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की दशा में 62 वर्ष की आयु तथा अन्य कर्मचारियों की दशा में 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा में नहीं रखा जाएगा।
 - 10. त्रापवादिक मामलों में शिथिलीकरण.—(जब अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि किसी कर्मचारी की सेवा की गती की भावत के किसी नियम या उपबन्ध के प्रवर्तन से, किसी मामले-

विशेष में अनुचित परेशानी हो रही है तो अध्यक्ष वित्त विभाग से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा उस न्यिम या उपबन्ध की अपेक्षाओं को ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शतों के अध्यधीन रहते हुए, जो मामले को न्यायोचित अथवा साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगा।

- 11. सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर ग्राये ग्रधिकारियों की सेवा-शर्ते. —ऐसी शर्तों के ग्रध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी सीमा तक, जो ग्रध्यक्ष द्वारा, वित्त विभाग से परामर्श दौरने के प्रश्चात् सबधारित की जाये, सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे किसी ग्रधिकारी को उस सेवा के किन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों को बनाये रखने की ग्रनुज्ञा दी जा सकेगी, जिनके लिए वह सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर ग्राने के तुरन्त पूर्व हकदार था परन्तु यह तब जब कि वह प्रतिनियुक्ति पर ग्राने से पूर्व समरूपी तथा समतुल्य पद धारित कर रहा हो।
 - 12. अनुशासनिक नियम्त्रण तथा दाण्डिक प्राधिकारी.—— (1) अध्यक्ष के सम्पूर्ण नियम्त्रण तथा अधीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए, अनुशासनिक नियंत्रण तथा दण्ड देने की शक्ति निम्नलिखित में निहित होगी:——
 - (क) सचिव, विशिष्ट सचिव तथा वा के ऐसे श्रन्य सक्स्यों की आवत, जिन्हें का नियमों से संलग्न श्रनुसूची में शार्षक "राजस्थान विधान सभा सचिवालय से गा" के श्रधीन रखा गया है, श्रध्यक्ष में,
 - (ख) ग्रधीनस्थ, लिपिकवर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी स्थापन के सदस्यों की बाबत, सचिव में।
 - (2) उन मामलों को छोड़कर, जिनके लिए इन नियमों में पहले ही उपबन्ध किया जा चुका है, समथ-समय पर यथा संशोधित राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण ग्रीर अपील) मियम, विद्यान सभा सिववालय में नियोजित व्यक्तियों पर, ग्रावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे

परम्तु उपर्युक्त निथमों में अन्तर्विष्ट प्रित्रया का अनुपालन करते समय राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

- (3) उपर्युक्त नियमों के नियम 14 में विहित शास्तियों में से कोई भी शास्ति:---
- (क) सेवा के ऐसे सदस्यों पर, जिन्हें अनुसूची में शीर्षक "राजस्थान विद्यान सभा सचिवालय सेवा" के अन्तर्गत रखा गया है, अध्यक्ष द्वारा, तथा
 - (ख) ग्रधीनस्थ, लिपिकवर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी स्थापन के विसी सदरय पर, सचिव द्वारा,

ग्रिधरोषित की जा सकेगी।

13. सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारी के विश्व अनुशासनिक कार्रवाई.—सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारी की बाबत, तथा पूर्वगामी नियम के उपवाधों पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना, यदि अध्यक्ष, अथवा सचिव या अन्य किसी

अधिकारी, ययास्थिति, की यह राय हो कि राजंस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण श्रीर अपील) नियम के नियम 14 में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति उक्त अधिकारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो असकी सेवाएं फिर से उधारदाता प्राधिकारी को सौप दी जाएंगी और जांच से सम्धन्धित सुसंगत कागजात भी, यदि कोई हों, उस प्राधिकारी को भेज दिये जाएंगे । अनुशासनिक मामले में श्रन्तिम आदेश उधारदाता प्राधिकारी द्वारा पारित किये जाएंगे श्रीर ऐसा श्रधिकारी ऐसे स्रादेश की प्रति विधान सभा सचिवालय को भेजेगा।

14. अपील - (1) प्रत्येक अधिकारी की, सचिव द्वारा राजस्थान सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण श्रोर श्रंपील) नियम के नियम 14 में विनिद्धिट किसी शास्ति को श्रधिन रोपित करतें हुए या उसकी पृष्टि करते हुए या किसी कर्म चारी को निलम्भित करते हुए मूलवः या श्रपील में पारित किये गये किसी श्रादेश के विरुद्ध अध्यक्ष को श्रपील करने का अधिकार प्राप्त होगा :

परन्तु किसी कर्मचारी को यदि श्रध्यक्ष के श्रादेश के श्रधीन निलिभ्धित किया गया हो तो ऐसे कर्मचारी को, एसे आदेश पर पुनर्विचार किये जाने के लिए एक अभ्यावेदन अध्यक्ष को लिखित रूप में स्तूत करने का अधिकार होगा

परन्तु यह ग्रोर भी कि यदि ऐसा ग्रादेश मूलतः सचिव के ग्रधीनस्थ किसी प्राधिकारी ने पारित किया हो तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील सचिव को की जा सकेगी।

(2) ग्रध्येक्ष के ग्रादेश ग्रन्तिम होंगे चाहे वे मूलतः पारित किये गये हों ग्रयवा अपील पर

परन्तु ऋध्यक्ष इस नियम के ऋधीन ऋपने द्वारा पारित किये गये किन्हीं भी ऋदिशों को स्वप्रेरणा से ग्रथवा ग्रावेदन किये जाने पर संशोधित या विखण्डित कर सकेगा।

- (3) इस नियम के अधीन कोई अपील तथ तक ग्रहण नहीं की जाएगी जथ तक कि वह उस तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर प्रस्तृत न की गयी हो जिसको आवेदक को श्रादेश की प्रति मिली हो, जिसके कि बिरुद्ध शिकायत की जा रही है।
- सत्रीय स्टाफ को शासित करने वाली शर्ते .---नियम 1 में ग्रन्तविष्ट किसी धात के होते हुए भी, सत्रीय स्टाफ की संख्या भ्रौर उसका समेकित वतन वह होगा जो भ्रध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग से परामर्श करने के पश्चात् ग्रवधारित किया जाय।
- 16. वरिष्ठता.—सेवा के निम्नतम पद पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता. ऐसे व्यक्तियों के उक्त पद पर स्थायी होने की तारीख से ग्रवधारित की जाएगी, किन्तु सेवा के भ्रन्य उच्चतर पदों पर पदोन्नति द्वारा निय्क्त किये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता ऐसे पदों पर उनके निथमित चयन की तारीख से स्रवधारित की जाएगी।
- 17. स्रारक्षण --इन नियमों की कोई भी धात, राज्य सरकार द्वारा समध-समय पर जारी किये गय ग्रादेशों के ग्रनुसार ग्रनुसूचित जातियों, ग्रनुस्चित जनजातियों तथा व्यक्तियों के म्रान्य विशिष्ट वर्गों के लिए रखे जाने वाले म्रारक्षण तथा मन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

18. कारबार का संव्यवहार.—-ग्रध्यक्ष, समय-समय पर, सामान्य या विशेष ग्रादेश द्वारा इन नियमों के प्रशासन से पैदा होने वाले कार्यों को सुविधापूर्वक तथा दक्षतापूर्वक करने के लिए तथा उस प्रयोजन हेतु श्रनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए, उपधन्ध कर सकेगा:

परन्तु ऐसे श्रादेश में उन मामलों तथा मामलों के दर्ग को भी विनिहिष्ट किया जा सकेगा जिन्हें किन्हीं श्रादेशों के जारी होने से पूर्व श्रध्यक्ष के ध्यान में लाया जाये।

- 19. अविशिष्टीय शक्तियां.—नियम 9 के उप-नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इन नियमों में विशिष्टतः उपबन्धित.न किये गये समस्त मामलों को, चाहे वे इन नियमों के उपबन्धों से आनुषंगिक या सहायक हो या अन्यथा हों, ऐसे आदेशों के द्वारा विनियमित किया जायेगा जो अध्यक्ष वित्त विभाग के परामर्श से, समय-समन पर जारी करे।
- 20 निर्वचन ---इन नियमों के निर्वचन से सम्बन्धित समस्त प्रश्न ग्रध्यक्ष को निर्देशित किये जाएंगे श्रीर उन पर उसका निर्णय श्रन्तिम होगा:

परन्तु नियम 8, 9, 10, 11, 15, 19 श्रीर श्रनुसूची तथा वित्त विभाग के परामर्श से इन नियमों के श्रधीन जारी किये गये किन्हीं श्रादेशों के निर्वचन से सम्बन्धित समस्त प्रश्नों को श्रध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से निर्णीत किया जाएगर।

- 21. सचिव की शक्तियों का प्रदान.—सचिवालय के प्रशासन के प्रयोजनार्थ, सचिव, शासन सचिव की वित्तीय तथा प्रशासनिक, दोनों प्रकार की ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी हों या इसके पश्चात् प्रवत्त की जायें भ्रयवा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के अधीन उसे प्रदत्त की जायें।
- 22. निरसन् श्रीर व्यावृत्ति.—इन नियमों में श्रिभव्यवत रूप से जैसा श्रन्यथा उप-धन्धित है, उसके सिवाय इन नियमों के समरूपी तथा इन नियमों के प्रवृत्त होने के तुरन्त पूर्व प्रवृत्त समस्त नियमों को इसके द्वारा निरसित किया जाता है

परन्तु इस प्रकार निरिसत किये गये नियमों के ग्रधीन किया गया कोई ग्रादेश या कोई कार्रवाई, इन नियमों के समरूपी उपधन्धों के ग्रधीन की गयी समझी जाएगी।

| * * * | 1.7% | ग्रनुसूची |
|-------|------|-----------|
| | | |

| क. सं. | पद का नाम | भर्ती की रीति और प्रतिशत | सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक ग्रह्ताएं, ग्रनुभव तथा ठीक दिम्न- तर पर की ग्रह्क सेवा तथा पदो- न्नति के लिए विभागीय परीक्षण | लिए धारित | पदोन्नति की कसौटी | ग्र भ्युक्तियां |
|---------------|---------------------------------------|---|---|-----------|----------------------|------------------------|
| · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | t to the second of the second | | पद | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

राजस्थान विधान सभा सचिवालय सेवा

1. सचिव

तर न्यायिक सेवा के अधिकारी की प्रति-द्वारा

(ख) सीधी भर्ती द्वारा

(क) राजस्थान उच्च- पद पर सीधी भर्ती के मामले में, ग्रभ्यर्थी को विधि स्नातक ऋौर चयन देतनमान के किसी कम से कम 10 वर्ष के अनुभव वाला व्यवसायी ग्रधिवक्ता।प्लीडर नियुक्ति या स्थानान्तरण होना चाहिए; नियुक्ति के समय उसे 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। उसे भारत के किसी राज्य की विधान सभा।परि-षद् की पद्धति तथा प्रक्रिया की विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए ग्रौर उसे संवैधानिक विधि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

सीधी भर्ती के मामले में पद, पाल ग्रभ्याथयों से मानेदन मामन्वित करके तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और श्रध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले एक, ग्रीर व्यक्ति से मिलकर बनी समिति द्वारा चयन किया जाकर, भरा जाएगा । यदि स्र. अध्यकता हुई तो स्रध्यक्ष, पद के लिए प्रभ्ययियों की उपयुक्तता की जांच करने के लिए परीक्षा।परीक्षण करवा सकेगा। परीक्षा।परीक्षण का पाठ्य-विवरण वह होगा जो अध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

1992

सीझी भर्ती के मामले में पद, पात पद पर सीधा भर्तों के मामले में, 2. विशिष्ट सचिव (क) राज**स्था**न उच्च-ग्रभ्यवियों से प्रावेद्ध प्राप्त दिए तर न्यायिक सेवा के अईसाएं, आयु तथा अनुभव वही किसी अधिकारी की प्रति- होंगें जो सचिव के मामले में हैं करके तथा बध्यक्ष, उपाच्यक्ष श्रीर सचिव से मिलकर बनी समिति ' नियुक्ति या स्थानान्तरण किन्तु अधिवक्ता। प्लीडर के रूप ने द्वारा चयन किया जाकर, भरा व्यवसाय कम से कम 7 वर्ष का जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो ग्रध्यक्ष, पद के लिए ग्रम्यियों की उपयुक्तता की 🤚 जांच करने के लिए परीक्षा। परीक्षण करवा सदेगा । परीक्षा। परोक्षण का पाठ्य-विवरण वह होगा जो अध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये। केवल योग्यता सीधी भर्ती के मामले में पद, पात 3. उप सचिव पदोन्सतिद्वारा स्तम्भ उकेपदकातीन वर्षका ग्रभ्यियों से भावेदन आमं जित के द्वारा साचव, ग्रथवा

प्रोटोकोल

श्रधिकारी

यदि योग्य व्यक्ति उपलब्ध सीधी नियुक्ति के मामले में, अभ्यर्थी न हों तो सीधी भर्ती। को विधि स्नातक होना चाहिए स्थानान्तरण।प्रतिनियुक्ति तथा बार का कम से कम पांच वर्ष का ग्रनुभव तथा चालीस वर्ष से द्वारा अधिक की श्राय का नहीं होना चाहिए। सथानान्तरण।प्रतिनियुक्ति के मामले

करके तथा ग्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष ग्रौर सचिव से मिलकर बनी समिति द्वारा चयन किया जाकर, भरा जाएगा। यदि स्रावश्यकता हुई तो श्रध्यक्ष, पद के लिए श्रभ्य-थियों की उपयुक्तता की जांच करने के लिए परीक्षा।परीक्षण करवा

में, अभ्यर्थी को आर. जे. एस. होना चाहिए या किसी विश्वविद्यालय की विधि फैंकल्टी में नियोजित होना चाहिए:

परन्तु यह कि न्यूनतम श्रह्ताएं रखने वाला तथा इस सचिवालय में सहायक सचिव के पद पर कार्य करने वाला अभ्यर्थी भी, बार में व्यवसाय करने सम्बन्धी भ्रनुभव खण्ड के शिथिलीकरण में तथा सर-कारी सेवा में प्रवेश की अधिकतम स्रायु सीमा के बन्धन के शिथिली-करण में सीधी भर्ती के लिए प्रति-योगी बनने के लिए पात होगा।

सकेगा। परीक्षा।परीक्षण का पाठ्य विवरण वह होगा जो अध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

4. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष

100%पदान्नात द्वारा

स्तम्भ 5 के पद का तीन वर्ष का निजी सचिव ग्रन्भव ।

100%योग्यता द्वारा

ग्रनुभाग

अधिकारी

5. सहायक सचिव

पदोन्नति द्वारा स्तम्भ 5 के पद का तीन वर्ष का 100% प्रथवा

अम्भव।

योग्य व्यक्ति के सीधी भर्ती के मामले में ग्राभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सीधी को विधि स्नातक तथा भर्ती।स्थानान्तरण।प्रति- बार का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव तथा चालीस वर्ष की भाय नियुक्ति द्वारा

से अधिक नहीं होना चाहिए। स्थानान्तरण।प्रतिनियुक्ति के मामले में अभ्यर्थी को विधि स्नातक होना चाहिए:

सीधी भर्ती के मामले में पद, केवल योग्यता द्वारा

पात्र भ्रभ्यियों से भ्रावेदन श्रामन्द्रित करके तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव से मिलकर बनी समिति द्वारा चयन किया जाकर, भरा जाएगा यदि स्रावश्यकता हुई तो स्रध्यक्ष पद के लिए भ्रभ्यथियों की उप-युक्तता की जांच करने के लिए परीक्षा।परीक्षण करवा सकेगा।

भाग 4(ग)

परीक्षा।परीक्षण करवा सकेगा।

परन्तु यह कि न्यूनतम शै क्षिक परीक्षा।परीक्षण का पाठ्य-अर्हता रखने वाला तथा इस विवरण वह होगा जो अध्यक्ष सचिवालय में ग्रनुभाग ग्रधिकारी के द्वारा विहित किया जाये। रूप में कार्य करने वाला श्रभ्यर्थी भी, बार में व्यवसाय करने सम्बन्धी स्मनुभव खण्ड के शिथिलीकरण में तथा सरकारी सेवा में प्रवेश की अधिकतम श्रायु सीमा के बन्धन के शिथिलीकरण में प्रतियोगी बनने के लिए पात होगा। 100% पदोन्नति द्वारा स्तम्भ 5 के एट्का तीन वर्ष का 6. निजी सचिव अनुभव। वयक्तिक वरिष्ठता एव सचिव योग्यता द्वारा सीधी भर्ती के मामले में ग्रभ्यर्थी 7. ग्रनुभाग ग्रधिकारी 100% पदोन्नति द्वारा सीधी भर्ती के मामले में केवल सहायक अथवा योग्य व्यक्ति के को विधि स्नातक तथा बार का कम पद, पात्र अभ्यियों से आवेदन योग्यता द्वारा उपलब्ध न होने की दशा में से कम 2 वर्ष का अनुभव तथा 40 ग्रामन्त्रित करके तथा ग्रध्यक्ष, सीधी भर्ती।स्थानान्तरण। वर्ष की ग्रायु से श्रिधिक का नहीं होना उपाध्यक्ष और सचिव से मिलकर प्रतिनियुक्ति द्वारा बनी समिति द्वारा चयन किया चाहिए। स्थानान्तरगाप्रतिनियुक्ति के मामले जाकर भरा जाएगा। यदि में अभ्यर्थी को विधि स्नातक होना श्रावश्यकता हुई तो श्र**ध्यक्ष**, चाहिए। 👵 पद के लिए ग्रभ्यिक्यों की उप-परन्तु यह कि न्य्नतम शै क्षिक ग्रहता युक्तता की जांच करने के लिए

रखने वाला तथा इस सचिवालय

में सहायक के रूप में कार्य करने वाला श्रभ्यर्थी भी बार में व्यवसाय करने सम्बन्धी ग्रनुभव खण्ड के शिथिलीकरण में तथा सरकारी सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा के बन्धन के शिथिलीकरण में प्रतियोगी बनने के लिए पात होगा।

परीक्षा परीक्षण का पाठ्य-विवरण वह होगा जो स्रध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

8. वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक

100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

स्तम्भ 5 के पद का तीन वर्ष का अनुभव।

वैयक्तिक सहायक

50 प्रतिशत योग्यता तथा 50 प्रतिशत वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा

9. बरिष्ठ पुस्तवालय

विद्यमान धारी के लिए

10. पुस्तकालय अधिकारी 100% पदोन्नित द्वारा

पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री, स्तम्भ 5 के पद का तीन वर्ष का ग्रन्भव

सहायक सन्दर्भ एवं अन् सन्धान म्रधिकारी

100 प्रतिशत योग्यता द्वारा

11. सहायक सन्दर्भ एवं 100 प्रतिशत पदोन्नति, स्तम्भ 5 के पद का तीन वर्ष श्रनुसन्धान श्रधिकारी द्वारा का ग्रन्भव

100 प्रतिशत **अनुसन्धान** योग्यताः द्वारा सहायक एवं

पुस्तकालय सहायक

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---------------------------------|--|-------------------------------|---|--|
| | | द्वारा | स्तम्भ 5 के पद का तीन वर्ष का | सहायक सम्पादक वाद विवाद | 100 प्रतिशत योग्यता द्वारा | |
| | | | | | • | |
| | सहायक सम्पादक वाद विवाद | 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा | स्तम्भ 5 के पद का तीन वर्ष का अनुभव | वरिष्ठ प्रतिवेदक | 100 प्रतिशत योग्यता द्वारा | |
| | | | | | _ | |
| | बरिष्ठ प्रतिवेदक | 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा | स्तम्भ 5 के पद का 5 वर्ष का ग्रानुभव | प्रतिवेदक | 100प्रतिशत वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा | |
| 15. | प्रतिवेदक (ग्रंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा के प्रतिवेदक के लिए पृथक पद ग्रावंटित किये जाने हैं) | 100प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से डिग्री 2. हिन्दी/ग्रंग्रेजी ग्राशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी श्रीर ग्रंग्रेजी के टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति- पद की भाषा के ग्रनुरूप | | | पद, पात्न ग्रभ्यियों से ग्रावेदन ग्रामिन्तित करके तथा स्तम्भ 4 में यथाविहित ग्राशुलिपि तथा टंकण के परीक्षण के ग्राधार पर चयन करके भरा जाएगा। |
| 16 | . विधि रचना ग्रिध- कारी | भर्ती या प्रतिनियुदित द्वारा | विधि स्नातक | | | सीधी भर्ती के मामले में पद, पात अभ्यथियों से आवेदन |

199

(34)

17. सशस्र परिचारक 100% सीधी भारत में विधि द्वारा स्थापित - - भर्ती द्वारा पूर्व सैन्य। विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रर्ध सैन्य बल से

ग्रामन्तित करके तथा ग्रध्यक्षा उपाध्यक्ष ग्रोर सचिव से मिलकर बनी समिति द्वारा चयन किया जाकर, भरा जाएगा। यदि ग्राव-श्यकता हुई तो अध्यक्ष , पढ के लिये ग्रभ्यथियों की उप-युक्तता की जांच करने के लिये परीक्षा।परीक्षण करवा सकेगा। परीक्षा।परीक्षण का पाठ्य विवरण वह होगा जो ग्रध्यक्ष द्वारा विहित किया जाए।

मीधी भर्ती के मामले में पद पात अभ्यथियों से आवेदन आमं-तित करके तथा अध्यक्ष , उपा-ध्यक्ष और सचिव से मिलकर बनी समिति द्वारा चयन किया जाकर, भरा जाएगा। यदि आव-श्यकता हुई तो अध्यक्ष, पद के लिए अभ्यथियों की उपयुक्ता की जांच करने के लिये परीक्षा। परीक्षण करवा सकेगा। परीक्षा परीक्षण करवा सकेगा। परीक्षा परीक्षण का पाठ्य विवरण वह होगा जो अध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये। 1. सन्दर्भ राहायक । 100 % सीधी । अर्ती द्वारा

पद. पात अभ्यश्यमें से आवेदन
आमन्तित करके तथा सचिव,
विशिष्ट सचित्र और अध्यक्ष द्वारा
नामनिद्धिष्ट किये जाने वाले
एक और अधिकारी से मिलकर
बनी समिति द्वारा परीक्षा के
आधार पर (पाठ्य विवरण जो
अध्यक्ष द्वारा विहित किया जाए
चयन किया जाकर, भरा
जाएगा।

2. पुस्तकालय सहायक

100<mark>% सीधी</mark> भर्ती द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री। किसी पुस्तकालय, ग्रिधमान्यतः डिग्री महाविद्यालय के पुस्तकालय के कार्यकरण का तीन वर्ष का

श्रनुभव ।

100प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा स्नातकः -

साक्षात्कार के आधार पर

पद, पात अभ्यश्यों से ग्रावेदन ग्रामन्त्रित करके तथा सचिव, विशिष्ट सचिव तथा ग्रध्यक्ष इत्रारा नामनिदिष्ट किये जाने वाले एक ग्रीर ग्रधिकारी से मिल-

3.

भाग 4 (ग

| | | | | | | कर गठित समिति द्वारा परीक्षा के स्राधार पर (पाठ्य विवरण जो स्रध्यक्ष द्वारा विहित किया जाए) चयन किया जाकर, भरा जाएगा। |
|----|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| 4. | उप निरीक्षक | सैन्याग्रर्धसैन्य तथा पुलिस सेवाग्रों में से 100 % सीधी भर्ती द्वारा | | | | साक्षात्कार के ग्राधार पर । |
| 5. | प्रहरी | 100 सीधी % भर्ती द्वारा | हाई स्कूल | | | साक्षात्कार के ग्राधार पर। |
| 6. | वातानुकूलन संयंत्र मैं केनिक | 100% सीधी भर्ती द्वारा | सरकार द्वारा मान्य ग्राई. टी. ग्राई. से रेफीजरेशन में डिप्लोमा | ••••• | | साक्षात्कार के ग्राधार पर। |
| 7. | ड्राईवर | 50% सीधी भर्ती तथा 50% पदोन्नित द्वारा | ग्राठवीं कक्षा उत्तीर्ण। भारी तथा हल्के वाहनों को चलाने का लाईसेंस | विघान सभा सचिव- बालय का चतुर्थ श्रेणी कर्म चारी | वही जैसा कि सीधी भर्ती के लिए है | ट्रेड परीक्षण तथा साक्षात्कार के प्राधार पर। |
| 8 | फोटो कापियर | 100% पदोन्नित द्वारा | फोटो कापींग मशीन के प्रचालन की क्षमता | विधान सभा सचिवालय का चतुर्थ श्रेणी कमंचारी | | साक्षात्कार के ग्राधार पर। |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | , 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|----------------------|---|---|----------------------------|---|
| 9. | लिस्ट मैं के निक | 100%सीधी भर्ती द्व | ारा 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. विद्युत निरीक्षक, राज ारा अनुमोदित वाय प्रमाण-पत्न अथवा मैं III डिप्लोमा। | स्थान रम न का केनिक्स मे | | साक्षात्कार के आधार पर। |
| | | | 3. सरकारी, अर्द्धसरकारी या ख्यातिप्राप्त फर्मी में लिफ्ट प्रचालन का क वर्ष का ज्ञान तथा अनुभ 4. विधान सभा कर्मचार लिए आयु सीमा का बर् | म से कम 3 व वि | | |
| | | | राजस्थान विधान सभासि | चवालय लिपिकवर्गी | य सेवा | |
| 1. | सहायक | 100%पदोन्नित द्वारा | स्तम्भ 5 के पद का 5 वर्ष का अनुभव। | विधान सभा का वरिष्ठ लिपिक | 100 % योग्यता द्वारा | |
| 2. | वरिष्ठ लिपिक | 100% पदोन्नति द्वारा | स्तम्भ 5 के पद का 3 वर्ष का अनुभव। | कनिष्ठ लिपिक। पूफ रोडराटेली- फोन आपरेटर | योग्यता द्वारा | गैर स्नातक के मामले में, प्रवीणता परीक्षण उत्तीर्ण करने पर। पाठ्य विवरण अध्यक्ष द्वारा विहित किया जाएगा। |

| 3. कनिष्ठ लिपिक।प्रूप रीडर | ह 85%सीधी भर्ती द्वारा तथा 15%पदोन्नित द्वार | | विधान सभा सिवालय का चतुर्थ श्रेणी कर्भचारी | योग्यता द्वारा | पद, पात्र अभ्याथियों से आवेदन आमंत्रित करके तथा सचिव, विशिष्ट सचिव घौर अध्यक्ष. द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले एक और अधिकारी से मिलकर गठित समिति द्वारा परीक्षा के आधार पर (पाठ्य विवरण जो अध्यक्ष द्वारा विहित किया जाएगा) चयन किया जाकर, भरा जायगा। | | |
|---|---|---|--|-------------------|---|--|--|
| 4. टेलीफोन आपरेटर | 100%सीधी भर्ती द्वारा | स्नातक तथा टेलीफोन प्रचालन में प्रशिक्षण | | • | साक्षात्कार के आधार पर। | | |
| 5. वैयक्तिक सहायक | 100%पदोन्नित द्वारा | स्तम्भ 5 के पद का 5 वर्ष का अनुभव | विधान सभा सचिवालय में आश्लिपि | • | | | |
| 6. आशुलिपिक | 100%सीधी भर्ती द्वारा | स्नातक आशुलिपि में 100 शब्ब प्रति मिनट तथा टंकण में 30 शब् प्रति मिनट की गति। | - | | पद, पात अभ्याथियों से आवेदन आमन्त्रित करके तथा स्तम्भ 4 में यथाविहित आशुलिपि तथा टंकण के परीक्षण के आधार पर चयन किया जाकर, भरा जाएगा। | | |
| राजस्थान विधान सभा सचिवालय चतुर्थ श्रेणी सेवा | | | | | | | |
| 1. मशीनमैन | 100%पदोन्नित द्वारौ | | विधान सभा सचिवालय क चतुर्थ श्रेणी] कर्मचारी | • | परीक्षण।सात्क्षाकार के आधार पर । | | |

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

शासन सचिव।